

पत्रांक—2734/Tech
अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, रॉची।
दिनांक—15वीं अक्टूबर 2019

सेवा में

डॉ० मजीद अहमद,
G-55,3rd फ्लोर जनकपुरी एक्सटेंसन,
न्यू दिल्ली।

विषय:- मौजा—Ukrid, प्लाट नं०-II/A-119/139, खाता नं०—1,95,15,17, वार्ड नं०—00,
थाना—सेक्टर—12, जिला—बोकारो में निर्मित **MS Medicant Hospital and Research Center Pvt. Ltd** का अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।

आपके द्वारा समर्पित ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में निर्मित **MS Medicant Hospital and Research Center Pvt. Ltd** अस्पताल भवन के अग्नि—सुरक्षात्मक उपायों की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, बोकारो से कराई गई। उनके ज्ञापांक—308 दिनांक—04.10.2019 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त अस्पताल भवन के लिए निम्नांकित अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. प्रस्तावित अस्पताल परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम दो लाख लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आक्रिमिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु डॉ०—आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित दोनों ब्लॉक भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबियों में एक—एक वेट राईजर का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलां पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो—दो अदद डिलिवरी होज एवं एक—एक अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित अस्पताल परिसर के चारों तरफ 200MM डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय, जिसमें प्रत्येक 40 मीटर अथवा उसके भाग पर एक—एक यार्ड हाईड्रेण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रेण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. पूरे भवन को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकल के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. पूरे भवन में एड्रेसेबल टाईप डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
8. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2850 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
9. स्प्रिंकलर के लिए स्वतंत्र रूप से पम्पिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाय।
10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. जॉकी पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
12. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
13. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्षण वाले रहेंगे।
14. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 केंजी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।

15. दो बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर, 3-5 बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई 1.50 मीटर एवं 5 से अधिक बेड वाले पेशेंट रूम के दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 2 मीटर अवश्य रखी जायेगी।
16. ए०सी० डक्ट में मानक के अनुरूप स्वचालित फायर डैम्पर का संस्थापन कराया जाय।
17. प्रत्येक तलों के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी स्वचालित फायर चेक डोर का संस्थापन कराया जाय।
18. बेसमेंट में कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर पार्टीशन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
19. बेसमेंट में किचन, ए०सी० प्लांट, बिजली का ट्रांसफर्मर जैसे पौजीटिव प्रेशर उत्पन्न करनेवाले किसी भी उपकरण का संस्थापन नहीं कराया जाय।
20. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
21. 100 वर्ग मीटर से अधिक एरिया वाले पेशेंट बेड रूम में कम से कम 2 दरवाजे दिये जाय।
22. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधित नहीं हो।
23. सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले (Outward Openings) रहेंगे।
24. निर्मित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
25. भवन में प्रति 400 वर्गफीट के लिये कम से कम दो तथा प्रत्येक कम्पार्टमेन्ट के लिये चार की दर से 09 लीटर क्षमता का वाटर सी०ओ०ट० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
26. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 50-50 ली० क्षमता का एक-एक अदद वाटर मिस्ट तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
27. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
28. ओ०टी० रूम / लैब में 4.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद CO₂ अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
29. वैस्ट मैटेरियल के डिस्पोजल हेतु इन्सिनरेटर लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
30. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
31. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद सी०ओ०ट० तथा 06 के०जी० क्षमता के 02-02 अदद डी०सी०पी० अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
32. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
33. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
34. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
35. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
36. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
37. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.3 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(श्री बन्धु उराँव),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।